

G.A.12
15/10/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. of 2015

Babita Devi Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others. . . . Respondents

Subject: Selection Matter
Non-Courtesy.

I N D E X

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page nos.</u>
1)	An application under Article 226 of the constitution of India on behalf of the petitioner with an affidavit	1-16
2)	<u>Annexure - 1</u> A photocopy of the Desertion Certificate issued by the Mukhiya of the concerned Panchayat	17
3)	<u>Annexure - 2</u> A photocopy of the application dated 29.07.2013	18
4)	<u>Annexure - 3</u> A photocopy of the letter dated 01.08.2013	19
5)	<u>Annexure - 4</u> A photocopy of the	

report dated 16.06.2014

20

- 6) **Annexure - 5 (Series)**
A photocopy of the affidavits
dated 05.09.2014, 06.09.2014,
08.09.2014

21-24

- 7) **Annexure - 6**
A true typed copy of the Order
dated 21.11.2014 passed by
the District Program Officer,
Madhepura

25-26

- 8) **Annexure - 7**
A true typed copy of the
Agreement dated 03.11.2007

27-29

- 9) V a k a l a t n a m a

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. of 2014

Babita Devi Petitioner
Versus
The State of Bihar & Others. . . . Respondents

SYNOPSIS

That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble High Court for the following relief/s:

- (A) A writ in the nature of certiorari or any other appropriate writ/s, order/s direction/s quashing the following:-
- (i) The order dated 21.11.2014 issued under the seal and signature of District Program Officer, Madhepura in Anganbari Case no. 16/2013, Kanchan Kumari vs. Child Development Officer, Puraini and others vide which it was held that Babita Devi should not be given the benefit of "Parityakta".
- (B) A writ in the nature of mandamus or any other appropriate writ/s, order/s direction/s commanding:-
- (i) The Respondents to stay the further process of selection of Anganbari Sewika till the final disposal of this case.
- (C) To any other relief/s to which the petitioner is found entitled to.

03.11.2007: Agreement entered into by the Petitioner and her husband Shri. Surendra Yadav.

27.07.2013: Respondent no. 4 fraudulently applied for the selection process portraying herself as Scheduled I class, aiming to avail the benefit of that class, for which the Petitioner filed an application before the Child Development Project Officer.

29.07.2013: Respondent no. 4 filed an application with Respondent no. 3, which was a counterblast to the

application of the Petitioner, stating therein that the Petitioner has submitted a false Desertion Certificate along with her form for getting the added benefit of 7 percentage catapulting her ahead in the competition so as to be easily selected for the post of Anganbari Sewika, even though she resides with her husband.

01.08.2013: Respondent no. 3 submitted a letter with Child Development Officer, Puraini stating therein the fact that the Petitioner has been deserted by her husband and is living separately since the year 2007, has been found true and correct.

16.06.2014: An enquiry was conducted by the Block Development Officer, Puraini, the report of which was submitted with the District Program Officer, Madhepura vide letter no. 578-2.

05.09.2014, 06.09.2014 and 08.09.2014: Mantu Bhagat, Vindeshwari Thakur and Sikander Kumar Chaurasiya and Larho Devi vide individual affidavits have stated that they were neither contacted by the Block Development Officer nor they have ever given any statement to the Block Development Officer with regard to Babita Devi.

21.11.2014: The District Program Officer, Madhepura passed order in Kanchan Kumari Vs. Child Development Project Officer, Puraini and others bearing Anganbari Case no. 16/2013.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No.

of 2015

In the matter of an
application under
Article 226 of the
Constitution of India

A N D

In the matter of :

Babita Devi, D/o Late Saryug Yadav, Resident of
Village - Lali Tola, P.S. - Puraini, District -
Madhepura, Bihar.

..... **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar, through Principal
Secretary, Welfare Department, Government
of Bihar, Patna.
2. The District Program Officer, Madhepura,
3. Mukhiya, Panchayat- Aurai, ^{P.S. Puraini.} District
Madhepura
4. Kanchan Kumari, wife of Manoj Chaurasiya,
resident of Village - Lali Tola, P.S. -
Puraini, District - Madhepura

2

..... Respondents

To,

The Hon'ble Justice Mr. L. Narasimha Reddy, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition
on behalf of the
petitioner above
named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble High Court for the following relief/s:

(A) A writ in the nature of certiorari or any other appropriate writ/s, order/s direction/s quashing the following:-

(i) The order dated 21.11.2014 issued under the seal and signature of District Program Officer, Madhepura in Anganbari Case no. 16/2013,

Kanchan Kumari vs. Child Development Officer, Puraini and others vide which it was held that Babita Devi should not be given the benefit of "Parityakta".

(B) A writ in the nature of mandamus or any other appropriate writ/s, order/s direction/s commanding:-

(i) The Respondents to stay the further process of selection of Anganbari Sewika till the final disposal of this case.

(C) To any other relief/s to which the petitioner is found entitled to.

2. That the substantial points involved in the case are as under:

i. Whether the order dated 21.11.2014 of the District Program Officer passed in Anganbari Case no. 16/2013 declaring that the Petitioner is not eligible

for the benefit of "Parityakta" is legal, valid and in accordance with law and rules made thereunder?

- ii. Whether in view of the fact that, the Mukhiya, Gram Panchayat Aurai, issued a "Pratityakta" certificate dated 12.06.2013 declaring that the petitioner has been deserted by her husband, the order of District Program Officer, dated 21.11.2014 is on non existant ground and is a gross abuse of power and is discriminatory?
- iii. Whether the action under challenge is a gross misuse of power conferred upon the authorities?
- iv. Whether the action under challenge is proper and justified?
- v. Whether the action under challenge is a clear violation of the fundamental

rights of the petitioner as envisaged under Articles 14 and 21 of the Constitution of India?

vi. Whether the order of District Program Officer, dated 21.11.2014 is frivolous, misleading, baseless and contrary to the settled principles of law?

3. That the petitioner is a citizen of India and she resides under the jurisdiction of this Hon'ble High Court. She is entitled to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That there was vacancy in the Anganbari Sewika in Panchayat Aurai, Lali Tola, Ward no. 02, under block Puraini, in the District of Madhepura and having the requisite qualifications the Petitioner, Respondent no. 4 and the others applied for the said post. The

Petitioner has also submitted a Desertion Certificate with her application.

A photocopy of the Desertion Certificate issued by the Mukhiya of the concerned Panchayat is annexed herewith and marked as Annexure - 1, to this writ petition.

5. That Kanchan Kumari, Respondent no. 4 is a member of Schedule II but she fraudulently applied for the selection process portraying herself as Scheduled I class, aiming to avail the benefit of that class, for which the Petitioner filed an application before the Child Development Project Officer on 27.07.2013.

6. That upon being aggrieved, Respondent no. 4 also filed an application dated

29.07.2013 with Respondent no. 3, which was a counterblast to the application of the Petitioner, stating therein that the Petitioner has submitted a false Desertion Certificate along with her form for getting the added benefit of 7 percentage catapulting her ahead in the competition so as to be easily selected for the post of Anganbari Sewika, even though she resides with her husband.

A photocopy of the application dated 29.07.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 2, to this writ petition.

7. That subsequently Respondent no. 3 submitted a letter dated 01.08.2013 with Child Development Officer, Puraini stating therein the fact that the Petitioner has been deserted by her husband and is living separately since the year 2007, has been found true and correct.

Further, Respondent no. 3 has highlighted that the allegations made by the Respondent no. 4 vide her letter dated 29.07.2013 is frivolous, baseless and incorrect.

A photocopy of the letter dated 01.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 3, to this writ petition

8. That an enquiry was conducted by the Block Development Officer, Puraini, the report of which was submitted with the District Program Officer, Madhepura on 16.06.2014 vide letter no. 578-2. The aforesaid report submitted by the Block Development Officer, Puraini, is unclear as the Block Development Officer has failed to reach a concrete conclusion with regard to the status of the Petitioner and therefore the Block Development Officer has highlighted that taking the decision regarding the desertion status of the

9

Petitioner would be in the best interest of justice.

A photocopy of the report dated 16.06.2014 is annexed herewith and marked as Annexure - 4, to this writ petition

9. That Mantu Bhagat on 05.09.2014, Vindeshwari Thakur 06.09.2014 and Sikander Kumar Chaurasiya and Larho Devi on 08.09.2014, vide individual affidavits have stated that they were neither contacted by the Block Development Officer nor they have ever given any statement to the Block Development Officer with regard to Babita Devi.

A photocopy of the affidavits dated 05.09.2014, 06.09.2014, 08.09.2014 are annexed herewith and marked as

Annexure - 5 (Series), to
this writ petition.

10. That finally on 21.11.2014 the District Program Officer, Madhepura passed an order in Kanchan Kumari Vs. Child Development Project Officer, Puraini and others bearing Anganbari Case no. 16/2013, wherein reliance has been placed on the report of the Block Development Officer dated 16.06.2014 bearing letter no. 578-2 in context of which the Block Development Officer conducted an enquiry and contacted certain people living in the vicinity who have stated that the Petitioner lives with her husband. Further, the Mukhiya, who issued the Desertion Certificate, was also contacted whereby he orally stated that he mistakenly signed the Desertion Certificate. Based on the findings of the Block Development Officer, the District Program Officer, Madhepura has held that the Desertion Certificate was issued by the Mukhiya, Aurai, without conducting proper

//

investigation. Hence, the petitioner shouldn't be given the benefit of the "Pratiyakta".

A true typed copy of the Order dated 21.11.2014 passed by the District Program Officer, Madhepura is annexed herewith and marked as Annexure - 6 which forms the part of the main petition.

11. That it is imperative to mention that the petitioner has been deserted by her husband and is staying separately since 2007. In context of this an agreement was entered into by the Petitioner and her husband Shri. Surendra Yadav vide which the husband of the Petitioner has agreed to transfer 1 acre and 81 decimal of land in the name of the Petitioner.

A true typed copy of the Agreement dated

03.11.2007 is annexed herewith and marked as Annexure - 7 which forms the part of the main petition.

12. That since the petitioner has been deserted by her husband she has been made a target by the Respondents in connivance with the authorities in order to serve their ulterior motive.

13. That the Petitioner has children who are dependent on the Petitioner and therefore the Petitioner applied for the post of Anganbari Sewika in order to ensure bread and butter.

14. That the order passed by the Respondent No. 2, on the face of it, is malafide, arbitrary and abuse of the powers conferred upon him.

15. That the action of the respondents is against the settled principles of natural justice.

16. That the action of the respondents that is under challenge is arbitrary, malafide and unjust in nature.

17. That the order dated 21.11.2014 is illegal, invalid and against the settled principles of law and is a gross violation of Article 14 and 21 of the Constitution of India.

18. That the petitioner is left with no option but to move this Hon'ble court by filing this writ petition for direction to the respondents for expeditious redressal of his grievances.

19. That the petitioner has no other effective and efficacious remedy than to move

your lordships by way of filing this writ petition for redressal of the grievances.

20. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble court in this matter.

It is therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to allow this writ petition, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show - cause as to why the relief prayed in para - 1, of this writ petition may not be allowed in favour of the petitioner.

And / or

Pass such other order / orders as your lordships may deem fit and proper.

AND FOR THIS, THE PETITIONER SHALL EVER PRAY.

AFFIDAVIT

I, Babita Devi, aged about 27 years, daughter of Late Shri Saryug Yadav, resident of Village - Lali Tola, P.S. - Puraini, District - Madhepura, Bihar, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this Writ petition have been read over and explained to me in simple Hindi and I have fully understood the same and the statement made in para 3, 5, 12, 13, 14, 15 to 25 are true to my knowledge and those statement made in para 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 are information derived from record of the case and the rests are by way of submission before this Hon'ble court.
3. That the annexures are true photo copy of its original.

A-1

17

EXHIBIT No. 1

तेदिका/सहयिका मार्गदर्शिका- 201

अनुलग्नक-ख

परित्यक्ता संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बबीता देवी पिता सरथुग
यादव ग्राम/ठेला ठांयला प्रखंड गौगरी का विवाह
 श्री सुरेन्द्र यादव ग्राम/ठेला आली टोला प्रखंड पुरेनी के
 साथ वर्ष 1999 में हुआ था। उदाहरणतः श्री सुरेन्द्र यादव ने विगत दो वर्षों से
 अपनी पत्नी श्रीमती बबीता देवी को अपने साथ न रखकर यू ही छोड़
 रखे हैं जो विधिवत तलाक दे दिया है। श्रीमती बबीता देवी हमारे पंचायत
आंशाय के आली टोला ग्राम में परित्यक्ता महिला के रूप में जीवन-
 वसर कर रही है। इनका अपने पति के साथ विगत दो वर्षों से कोई संबंध नहीं है।

12/06/13

मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) बबीता देवी
 एवं नाम बबीता देवी
 पंचायत/वार्ड सदस्य (ग्रामीण क्षेत्र) बबीता देवी
 दिनांक 12/06/13

मुखिया/वार्ड सदस्य
 ग्राम पंचायत- गौगरी
 प्रखंड- गौगरी

विषय :- परिव्राग प्रमाण पत्र फर्जी व करेबी बनवाकर चयन होने वाले अभ्यागती को सेविका पद पर शैक लगाने के सम्बन्ध में।

प्रमाण

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में साक्षर अनुरोध है कि मैं ग्राम पंचायत राज चौशाय वाड संख्या-22 प्रखण्ड-पुरैनी जिला-मधेपुरा अन्तर्गत अठ पिठ वाडुबर्ग केन्द्र लाली डोला की हूँ।

लेकिन मेरे उक्त पोषक क्षेत्र से

वकील देवी पति-सुरिन्द्र चार्य भी सेविका पद हेतु आवेदन की है वह अपने परिव्राग का शपथ पत्र के आवेदन के साथ संलग्न की है वह परिव्राग गठित नहीं है वह अपने सभी परिवार के साथ रहती लेकिन वकील देवी सेविका पद प्राप्त करने हेतु फर्जी परिव्राग शपथ प्रमाण पत्र दारिद्र्य की है जिससे पुत्रवन्द्य अभ्यागती से 7 (सात) अंक व्यक्ति प्राप्त है और मैं सेविका पद पर नियोजित हो 5 पांड/ अठ सर्वत्रा गलत है।

संज्ञा

आर: श्री मान से साक्षर अनुरोध है कि-

उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए लाबेदिक वकील देवी का नियोजन रद्द करके हुए, मेरा शैक चयन करवाने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासपात्र

कंचन कुमारी

मनोज चौशाय

ग्राम - लाली डोला पाठ-अठ

थाना-पुरैनी जिला-मधेपुरा

सच्ची शर्मिली
बाल विकास परिभाजन
पदाधिकारी, पुरैनी

दिनांक - 29/07/13

श्री मान बाल विकास पत्रिका की
पुरेनी

परित्यागता प्रमाण पत्र सही पाठ
के संबंध में

निम्नलिखित निवेदन है कि मैं
मुखिया अमर पंचायत औराय सुठ मुस्ताव
की अनाई के अंतर्गत बनीता देवी पति
श्री. श्री. आदर का 2007 से अलग रह
रही है। यह जानकारी अक्टूबर के कुछ
दिनों में अनाई पर मैंने सही पाया
परिसुर अनाई समाज के लोगों ने भी अलग
रहने की जानकारी दी।

अनाई कुमारी पुत्री मनाज कुठ चौरसिठ
द्वारा 07-2013 का बनीता देवी पर
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई

अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई

अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई

अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई
अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई

विश्वासभाजन

अनाई अनाई अनाई अनाई अनाई

मुखिया 07/03/13
ग्राम पंचायत राज-औराय
प्रखण्ड-पुरेनी (मधेपुरा)



प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी

पत्रांक 518-L

पेना : M:

आधार

प्रेषक

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
पुरैनी।

सेवा में

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा।

विषय:- श्रीमति बबीता देवी पिता सरसुय यादव व परिवारकता प्रमाण पत्र की मांग का प्रमाण पत्र।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-202-2 का दिनांक 06/07/2014

पुरैनी दिनांक 16 जून 2014 ई।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के निर्देशनुसार श्रीमति बबीता देवी पिता सरसुय यादव एवं सुरेन्द्र यादव ग्राम-लालीटोला औराय परिवारकता से सम्बन्धित मामले की जांच अवगततादृशी के द्वारा पिता-पुत्र श्रीमति बबीता देवी के घर के इर्द-गिर्द शिवाय करने वाले व्यक्ति से परिवारकता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित श्री विन्देश्वरी ठाकुर पिता-अधिक ठाकुर गुरु, यमरा पिता-अधिक ठाकुर मुकेश कुमार पिता-वदन प्र० शारसिया रामदेव ठाकुर पिता-अधिक ठाकुर सिकेन्द्र चौरसिया पिता-अधिक चौरसिया नितीश कुमार पिता-वकील भगत, अरुण भगत पिता सुन्दर भगत, श्रीमति चारुषी देवी पति सुभाष यादव ने बताया कि बबीता देवी अपने पति के साथ ही रहती हैं तथा दोनों के बीच कोई प्रमाण पत्र या मामला हमलों के सञ्ज्ञान में नहीं है। बबीता देवी के घर के सामने उपस्थित श्री सुरेन्द्र यादव पिता-सत्याना० यादव, उपेन्द्र यादव पिता स्वयं गौतम प्र० यादव, श्री विन्देश्वरी यादव पिता स्वयं राम यादव, छोटू कुमार पिता-श्री दशरथ यादव के द्वारा बताया गया कि बबीता देवी अपने पति ही अलग राधा रहती हैं।

18/6
18-6-14

श्रीमति बबीता देवी जांच के समय में घर पर उपस्थित नहीं मिली। उनका पत्र में बताया कि परिवारकता संबंधी एकरारनामा नोटरी पब्लिक अनुमंडल उदाकिशुनगंज में किया गया है। मैंने अपने निवास कार्यालय में दायर तलाकनामा की कागजात की मांग किया तो इस तरह की कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया और नही निबंधन का बात बताया गया। परिवारकता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सम्बन्धित मुखिया से भी मौखिक रूप से बात किया तो उन्होंने बताया कि अनजाने में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सूची का अवलोकन किया जिसमें सुरेन्द्र यादव एवं बबीता देवी का त्रय पति पत्नी के रूप में दर्ज है तथा एक ही परिवार में शामिल है।

उपर्युक्त सभी विन्दुओं पर अवलोकनोपशक्त भवदीय स्तर से परिवारकता सम्बन्धी निर्णय लेना ही श्रेष्ठ रहेगा।

विश्वासमान

16/6/14

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
पुरैनी।



Signature

Dakus
18/6/14

3

Authorization No. 20137

GOVT. OF BIHAR
OFFICE OF THE DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER
PURNIA
INDIA
374150
2014



71112 Xure No. 5 8xms 21
 OF BIHAR भारत
 EXCISE & PROHIBITION DEPT. STAMP DUTY
 MADHEPURA 00000
 0000100
 1.9.2014
 37415 BIHAR
 INDIA
 Zero-Zero-Zero One-Zero-Zero-Zero
 0821237 5878

(15)


नीटारी परिदलक, मेधेपुरा।
 नोटरी प्रमाणित

सपथ-पत्र

मे विधेयपुरा जिले में 60 वर्ष पुराने स्थान पर अधिकतम 400 वर्ग फीट का प्लॉट का उपयोग करने की इच्छा है कि:

14029
 6/9/14

1. कि उपरोक्त पते का मैं स्वामी निवासी हूँ।
2. कि पूर्वक पिछले पदाधिकारी, पुरानी धारा लकी भूखे बचीता देवी के परिवारवाला के समर्थ में नहीं पूजा गया, और नहीं लकी भूखे 90 पिठ पदाठ के भूजागत ही हुआ।
3. कि पूर्वक पिछले पदाधिकारी, पुरानी धारा बचीता देवी पति सुरेन्द्र यादव के समर्थ में विदे गवे प्रतिवेदन में मेरे समर्थ में जो बयान देने का प्रिक्रम किया है वह झिन्सुक्त फल है कि 90 पिठ पदाठ के भूखे भूजागत ही नहीं है जो उन्हें बयान देने का प्रिक्रम ही नहीं उठता।
4. कि वास्तविकता यह है कि खीता देवी अने पति सुरेन्द्र यादव ते जलग रह रहे हैं।
5. कि वस्य को जबागर जने वास्ते यह सपथ पत्र कर रहा हूँ।



मैं सपथ कई पुराने एवं पूर्वक भोजपुरा
 कर रहा हूँ कि इस सपथ पत्र में वर्णित
 वारी सपथ पत्र ही सही है किसे पदुक्त
 वी सपथपत्र सपथ किया तथा वही पदुक्त
 अपना जबागर को निमान बना किया

सपथ कई




वसे मि. विदे 24/7/14

S. Bhushan
 who is identified by
 Advocate Madhepura
 solemnly affirm and declared before
 that the contents of this affidavit

अभिमानकर्ता के
 अधिकारता

Seshank chandra
 6/9/14



S. Bhushan
 NOTARY
 REGD. No. 1072J
 DISTT. MADHEPURA
 BIHAR

Sai
 03/12/2014

Dakun
 03/12/2014

GOVT. OF BIHAR
 DEPARTMENT OF REVENUE & LAND REVENUE
 MADHEPURA SOUV. MADHEPURA
 COMPTROLLER
 AUTHORIZATION No 2037
 INDIA
 374150
 BIHAR
 031667



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORC, MADHEPURA


भारत
STAMP DUTY
00000

बिहार
JUDICIAL

COURT FEE
₹ 50 का स्टाम्प टैक्स
Registration No 2037

0000100
₹ 74150
Zero-Zero-Zero One-Zero-Zero

1.9.2014
BIHAR
8295 5271155



शपथ-पत्र
सिकन्दर चौरसिया उम्र 40 वर्ष निवासी मुमु चौरसिया ता.बिहार जिला
और लक्ष्मी देवी निवासी पुरेनी जिला मधेपुरा शपथ पूर्वक बयान करता है कि:

No. 14079 Date
3/9/14

- 1. कि उपरोक्त पति का मैं स्थायी निवासी हूँ।
- 2. कि पुर्वक विवाह पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा कभी मुझसे बचीता देवी के परित्याग के सम्बंध में नहीं पूछा गया, और नहीं कभी मुझे पति पद पदा पुरेनी से मुजाकत ही हुआ।
- 3. कि पुर्वक विवाह पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा बचीता देवी पति सुरेन्द्र यादव के सम्बंध में दिये गये प्रतिबन्धन में मेरे सम्बंध में जो बयान देने का प्रिकृत्य किया है वह बिल्कुल असत्य है किपुण पति पदा पुरेनी मुझे मुजाकत ही नहीं है तो उन्हें बयान देने का कोई पूरण ही नहीं उठता।
- 4. कि वास्तविकता यह है कि बचीता देवी अपने पति सुरेन्द्र यादव से अलग रह रहे है।
- 5. कि वास्तव में उद्योग करने वास्ते यह शपथ पत्र कर रहा हूँ।



मैं कल्प नहीं पूना धर्म पूर्वक शपथ
करता हूँ कि इस कल्प का मैं वर्णित
होने कल्प वास्तव में सही है किसे पदक
पति सुरेन्द्र यादव बिल्कुल असत्य बयान करती बात
अपना बयान ही निगान बना दिया।

शपथ करती

सिकन्दर कुमार चौरसिया

सिकन्दर कुमार चौरसिया
अधिकारी

Sushant
6.9.14

Sr/Smt. सिकन्दर चौरसिया
who is identified by
4714-13 (महिला)
I have read and explained the contents of this affidavit to the affiant and he/she has acknowledged the same.

Shashi Bhushan
NOTARY
REGD. No.-1072J
STT-MADHEPURA
BIHAR
8/9/14

Jai
08/11/2014

Shankar
8/31/2014

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORC, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
INDIA
374150
BIHAR




GOVT OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHUPURA SCORC, MADHUPURA

भारत
STAMP DUTY
00000

बिहार
JUDICIAL

20
5111225 6678



0000100
741:0
INDIA
Zero-Zero-Zero One-Zero-Zero

1.9.2014
BIHAR


शपथ-पत्र

मैं शरद देवी उम 65 वर्ष पति-स्व० सुनर यादव निवासी साकिन मौजा
ओमलाकी देवस्थाना पुरेनी जिला मधुपुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:

14080
8/09/14

कि उपरोक्त पते का मैं स्थायी निवासी हूँ।

2. कि मुखंड विजात पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा जारी की गई पुरेनी परिचयपत्र के सम्बंध में नवीं पूजा करा, और नवीं कमी हुई शुद्ध कर का पुरेनी से मुलाकात ही हुआ।
3. कि मुखंड विजात पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा बचीता देवी पति सुरेन्द्र यादव के सम्बंध में दिये गये प्रतिकेदन में मेरे सम्बंध में जो बयान देने का विचार किया है वह बिलकुल गलत है किपु0 पि0 पला0ले मुझे मुलाकात ही नहीं है तो कमी बयान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
4. कि वास्तविकता यह है कि बचीता देवी पति सुरेन्द्र यादव के सम्बंध में यह है।
5. कि सत्य जो उदाहर करने चाहते यह शपथ पत्र पर रहता हूँ।



मैं शपथ कर्ता पुनः धर्म पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वाणित तारे कथन सत्य वा सही है जिसे पढ़कर जो पढ़ाकर सम्झ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर वा निशान बना दिया।

शपथ कर्ता



8/9/14

शरद देवी

मैकपहचानकर्ता को

अधिपता

Sushant Chandra
8-9-14

Sri/Smt. शरद देवी
who is identified by
शरद देवी (माया)
I solemnly affirm and declared before
the contents of this affidavit
are true.

Shashi Bhushan D/9/14
NOTARY
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
DISTRICT MADHUPURA
BIHAR



Sari
03/09/2014

Shankar
03/09/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHUPURA SCORC, MADHUPURA

COURT FEE

Authorization No. 2037

INDIA

3741 50

BIHAR



GOVT OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

भारत

STAMP DUTY

00000

बिहार
JUDICIAL

19.12.2014

BIHAR

0000100

74150


INDIA

Zero-Zero-Zero One-Zero-Zero-Zero

6921255 7118

24

19



सम्मान में
शपथ पत्र, मधेपुरा ।

13791
5/9/14

मैं मन्दू भगत उम्र 25 वर्ष पिता स्व० बुलाकी भगत साकिन
मौजा औराय लाली टोला धाना-पुरैनी जिला मधेपुरा,
शपथ पूर्वक ध्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि उपरोक्त पते का मैं स्थायी निवासी हूँ ।
2. कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पुरैनी ने कभी मुझे बविता देवी की पति सुरेन्द्र यादव के परित्यक्ता के संबंध में कोई ध्यान नहीं लिया है ।
3. यह कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पुरैनी द्वारा बविता देवी के परित्यक्ता के संबंध में दिये गये प्रतिवेदन में मेरा जो ध्यान दर्ज किया है वह बिल्कुल गलत है ।
4. यह कि वास्तविकता यह है कि बविता देवी अपने पति सुरेन्द्र यादव से कई वर्षों से अलग परित्यक्ता के रूप में रहती चली आ रही है ।

यह कि सत्यता को उजागर करने वास्ते यह शपथ-पत्र कर रहा हूँ ।

मैं शपथकर्ता पुनः शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र द्वारा घोषित तारे कथन सत्य वो सही है ।



शपथकर्ता
शशि भूषण (13791)
Advocate Madhepura
I hereby certify that the contents of this affidavit are true and correct.

शपथकर्ता

MANTU BHAGIA

मैंने पहचान किया ।

अधिकारता ।

Sushobh Chandra
Advocate
5-9-14

Shashi Bhushan
NOTARY
REGD. No.-1072J
DISTT.-MADHEPURA
BIHAR

Suj
03/12/14

Chakur
11/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 2037

STAMP DUTY
00000

INDIA
374150

BIHAR

5972 7726555

ऑगनबाड़ी वाद संख्या- 16/2013 कंचन कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी एवं अन्य।

-: आदेश :-

दोनों पक्षों के विद्व अधिवक्ता को सुना।

श्रीमती कंचन कुमारी, पति- मनोज चौंसिया, ग्राम- लाली देला, पो- औराय, थाना- पुरैनी, प्रखण्ड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा द्वारा वाद दायित्व किया गया है। उनका कहना है कि मैं पुरैनी परियोजना अन्तर्गत पंचायत औराय के वार्ड नं०-02 लाली देला में सेविका पद हेतु सम्मीलित हूँ। मुझे मेधा सूची में कुल मेधा अंक 65.57 प्राप्त है।

विपक्षी संख्या 2 बबीता देवी, पति- सुरेन्द्र यादव को मैट्रिक में 59.28 अंक प्राप्त है एवं परित्यक्ता का गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर बोनास 7 अंक प्राप्त कर कुल मेधा अंक 66.28 अंक प्राप्त कर मेधा सूची के प्रथम स्थान पर है।

बबीता देवी को दो संतानों में पुत्र राजनन्दन कुमार 23 वर्ष एवं पुत्री सोनी कुमारी 21 वर्ष का है। जिनका आलमनगर विधान सभा क्षेत्र निर्वाचन नियमावली 2014 में क्रमांक 1245 एवं 380 पर नाम दर्ज है।

बबीता देवी अपने बच्चे एवं पति- के साथ रहती है। परित्यक्ता प्रमाण-पत्र गलत है। उनके द्वारा इसे निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी संख्या- 2 बबीता देवी द्वारा प्रति उत्तर दायित्व किया गया। प्रतिवादी बबीता देवी का कहना है कि वादी द्वारा परित्यक्ता पर लगाया गया आरोप गलत है। मैं विगत कई वर्षों से अलग परित्यक्ता के रूप में रहकर गुजर बसर कर रही हूँ। जिसके संबंध में ग्राम क हरी के पंचों एवं कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 2007 में एक पंचायत कर एकशरनामा भी तैयार किया गया है। उन्हीं के आधार पर परित्यक्ता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी से इस कार्यालय का पत्रांक 202-2 दिनांक 06.02.14 द्वारा बबीता देवी, पिता- सरयुग यादव का परित्यक्ता प्रमाण-पत्र का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी अपने पत्रांक 578-2 दिनांक 16.06.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बबीता देवी, पिता- सरयुग यादव, पति- सुरेन्द्र यादव, ग्राम- लाली देला औराय परित्यक्ता संबंधी मामले की जाँच अघोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। स्थल पर उपस्थित अधिकांश लोगों द्वारा बताया गया कि बबीता देवी अपने पति के साथ रहती है। परित्यक्ता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संबंधित मुखिया से भी मौखिक रूप से बात किया तो उन्होंने बताया कि अनजाने में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। समाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सूची का अवलोकन किया गया जिसमें सुरेन्द्र यादव एवं बबीता देवी का नाम प्रति पत्नी के रूप में दर्ज है तथा एक ही परिवार में शामिल है।



Sanj
08/12/2014


GOVT. OF BIHAR
HIGH COURT
COURT FEE
Authorization No. 2037
3/4/15/9
BIHAR
INDIA


आवेदिका कंचन कुमारी द्वारा फर्जी परित्यक्ता प्रामाण-पत्र के संबंध में मुखिया को रोक लगाने हेतु आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन पर भी मुखिया का हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट होता है कि मुखिया द्वारा बिना जाँच प्रताल के ही प्रामाण-पत्र निर्गत किया गया है।

अतः बबीता कुमारी, पति- सुरेन्द्र यादव, ग्राम- लाली टेला, पो0- औराय, याना- पुरैनी, प्रखण्ड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा को परित्यक्ता का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापंक 1786-2 दिनांक 21/11/2014


प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 विदेशालय बिहार, पटना को सादर सूचनाय प्रेषित।


प्रतिलिपि:- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनाय एवं अनुपालनाय प्रेषित।


प्रतिलिपि:- श्रीमती कंचन कुमारी, पति- मनोज चौरसिया, ग्राम- लाली टेला, पो0- औराय, याना- पुरैनी, प्रखण्ड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा को सूचनाय एवं अनुपालनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि:- एन0आइ0सी0 मधेपुरा के वेबसाईट पर प्रकाशनाय प्रेषित।


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।




जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

बी स रुपये

TWENTY RUPEES

रुपय २० नामा - पत्र

लेख्यकारी - श्री सुरेन्द्र यादव पिता
 श्री विदेरवरी यादव सा.
 औराय लाली लोका
 थाना + अंचल - सुरेन्द्र
 जिला - मन्सूरगढ़

लेख्यकारी - श्रीमति लक्ष्मी देवी पिता
 श्री सरयज यादव
 श्री सुरेन्द्र यादव
 औराय लाली लोका
 थाना + अंचल - सुरेन्द्र
 जिला - मन्सूरगढ़

लेख्य-प्रकार - विक्रय - पत्र

सम्पत्ति - मौजा - औराय थाना - १३
 रकवा - ५५९१ भा रकवा -
 रकवा - ० - ५५ डी. रकवा -
 ८६२१ भा. रकवा - २५९१ भा.
 रकवा - ० - ३५ डी. १५० वगैरह
 रकवा - २९३१ भा रकवा - ०५ डी
 वासवाली जमीन
 मौजा - करामा, थाना १० - १५।
 रकवा - २८२१ भा. रकवा -
 २२०६ भा. रकवा - ० - ५५ डी.
 रकवा - १०३१ भा - रकवा -
 २२०५ भा रकवा - ० - ५५ डी.
 थाना कुल रकवा - ८१२० ८१ डी.

यू लेख्यकारी श्री सुरेन्द्र यादव
 एवं लेख्यकारी श्रीमति लक्ष्मी देवी
 - औराय मे लाति - पटना - १३

श्री १०५ को ११ को १३
 श्री १०५ को ११ को १३
 श्री १०५ को ११ को १३

पंकर रामकृष्ण
 श्रीमति लक्ष्मी देवी
 औराय लाली लोका
 औराय लाली लोका
 औराय लाली लोका

०२/११/२०
 ०२/११/२०
 ०२/११/२०

No. १३



२९

985

एक पुत्री है। उक्त देवी प्रति
 पत्नी में बराबर आपस में
 भावना-भावना होते रहना है।
 दोनों प्रति-पत्नी को एक जगह
 राज-वसर करना मुश्किल हो
 गया है। अन्त में लेख्यचारी
 श्रीमती लकीता देवी लेख्यचारी
 पति को परिचायक करत कर
 लाचार हो गई। तब लेख्यचारी
 गाँव में पंचायत बैठ गई। पंचायत
 में पंचों द्वारा उक्त प्रति-पत्नी
 में सामंजस्य का बहुरी प्रयास
 किया गया लेकिन न हो पाया
 सका। तब पंचायत में पंचों
 द्वारा लेख्यचारी लकीता देवी
 के परिस्थिति को देखकर
 सर्वसम्मति से निर्णय लिया
 गया कि यदि लेख्यचारी एवं
 लेख्यचारी से एक पुत्र एवं
 एक पुत्री है। इस स्थिति में
 लेख्यचारी कदा जायेगी ?
 लेख्यचारी गाँव एवं परिवार को
 इज्जत है। इसलिये लेख्य-
 चारी लकीता देवी को एक
 पुत्री का कर्तव्य है। लेख्य-
 चारी लकीता देवी को लकीता-
 देवी के लिए दिया जायेगा।
 लेख्यचारी देवसरा - 253 तथा
 लकीता देवी के आश्रित



लेख्यचारी लकीता देवी

लकीता देवी

मुख्य कार्य, बिहार

विद्यार्थी कार्य
 एवं आराम कार्यालय

विद्यार्थी कार्य

23-11-2007

25/11/07

विद्यार्थी कार्य

3/11/2007

03/11/2007

30 29

No. 985

रहगी।

उक्त कार्य करने के बाद ही लेख्यकारिता सुनेन्द्र यादव लेख्यकारीअपनी पत्नी ज्योती देवी का परिचय कर सकते हैं। उसके बाद लेख्यकारी का खाना पीना 3671 यचना यलगा होगा और लेख्यकारी का खाना पीना 3671 यचना यलगा होगा। लेख्यकारी के लिए पत्र लिखेंगे।

लेख्यकारिता के पंचों के उक्त कार्य कर लिये। पंचों द्वारा उक्त पत्र का हिदायत भी मिले कि उक्त पत्र यदि पंचायत का उक्त कार्य का उल्लंघन करेगी तो पंचायत को जायगी।

इस एकतरफा पत्र के उक्त पत्र पद का पद का उक्त पत्र के समकक्ष अपना उक्त पत्र पत्र पंचों के सामने कर लिये पत्र का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
लिखेंगे।

F002/11/E

जी

सुनेन्द्र यादव
ज्योती देवी



नाटरी
सुजान कुमार
ज्योती देवी
मध्य प्रदेश

03/11/11

03/11/11